अनुसूचित जातीय महिलाएँ तथा राजनीतिक–सामाजिक बाधाएँ : जनपद पौड़ी गढ़वाल में यमकेश्वर विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में

अनिल कुमार सैनी
डॉ०, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड), भारत

शोध सार

भारत में सामान्यतः अनुसूचित जातियाँ आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछडी हुई हैं। भारतीय संविधान में इन जातियों के साथ होने वाले अत्याचार से उनकी रक्षा करने और इन जातियों को अन्य जातियों के समानान्तर लाने के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। आज भी भारतीय समाज में जाति व्यवस्था विद्यमान है, किन्तु वह पहले जैसी कठोर नहीं रह गई; फिर भी जाति समस्या समाज में मौजूद है, यह एक यथार्थ है। वर्तमान में न केवल जाति व्यवस्था, मूल्य, मान्यताओं, संस्कारों, भावों एवं विचारों में जिन्दा है; बल्कि इन सबके दम पर समाज में अपना दखल रखती है। भारतीय समाज (खासकर अनुसूचित जातियाँ) में आज भी जातियाँ सम्मान और तिरस्कार का पर्याय बनी हुई हैं। समाज में आज भी सामूहिक खान–पान, सामाजिक समारोह, सामाजिक संसर्ग में जातिगत आधार पर भेदभाव विद्यमान है। ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से तथा शहरी आबादी में भी छुआछूत विद्यमान है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय अनुसूचित जातीय महिलाओं की स्थिति में जो भी परिवर्तन हुए हैं वे अपूर्ण प्रतीत होते हैं। महिलाओं की दोहरी भूमिका समाज को मान्य नहीं है। आधुनिक भारत में अनुसूचित जातीय महिलाओं को राजनीतिक–सामाजिक अधिकार तो दिये गये हैं; किन्तु जमीनी स्तर पर वे उनका उचित उपभोग नहीं कर पा रही हैं।

शब्द कुंजी– अनुसूचित जातीय महिलाएँ, राजनीतिक बाधा, सामाजिक बाधा, जाति व्यवस्था।

प्रस्तावना

जाति व्यवस्था वर्तमान भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या है, सांस्कृतिक तौर पर जाति व्यवस्था की जड़े अत्यधिक गहरी हैं। "भारत के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि एक ही देश के लोग जन्म के आधार पर इतनी जातियों में बंटे हो।"[1]

जाति प्रथा ने लोक–कल्याण व सामाजिक उदारता की भावना को भी नष्ट किया है।[2] स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में नई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई साथ ही महिलाओं को भी पुरुषों के समान भले ही राजनीतिक अधिकार मिले हों, किन्तु "स्त्री और पुरुष की भूमिका सामाजिक स्तर पर समान नहीं होती।"[3]

स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की दशा को सुधारने लिए अनेक प्रयास किये गये। भारतीय संविधान कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता की गारन्टी भी देता है, फिर भी सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव के तले महिलाओं (खासकर अनुसूचित जातीय महिलाओं) की प्रस्थिति ठीक प्रतीत नहीं होती है। अधिक अच्छा यह होगा कि इन महिलाओं को बुनियादी तौर पर ऐसी सुविधाएँ दी जाएं जिनके सहारे वे अपने व्यक्तित्व का स्वेच्छा से निर्माण कर सके। अनुसूचित जातीय महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं श्रम के लिए अधिक से अधिक सहायता मिले तो वे अपनी सृजनशीलता से चमत्कार कर सकती हैं। अतः प्रस्तुत शोध पत्र अनुसूचित जातीय महिलाओं की राजनीतिक–सामाजिक बाधाओं पर आधारित है।

अध्ययन का महत्व

1 पेरियार, ई०वी० रामासामी (जून, 2022) : जाति व्यवस्था और पितृ सत्ता, राधा कृष्ण पेपरबैक्स, दिल्ली, पृष्ठ 31।

2 अम्बेडकर, बी०आर० (2022) : जात–पांत का विनाश, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, पृष्ठ 35।

3 सीमोन द बोउवार (2002) : स्त्री : उपेक्षिता, हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्ली, पृष्ठ 115।

अनुसूचित जातीय महिलाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक बाधाओं का मूल्यांकन करना इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक–सामाजिक संरचनाओं, मूल्यप्रणालियों का प्रभाव महिलाओं के व्यवहार सम्बन्धी प्रत्याशाओं पर पड़ता है। प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूचित जातीय महिलाओं के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों को आधार बनाया गया है। वर्तमान समय में भारतीय पर ग्रामीण समाज जहाँ जाति प्रथा को महत्व देता है, वही शहरी क्षेत्रों में लोग जाति बंधनों से आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक एवं सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातीय महिलाओं की भी समान सहभागिता हो। चूँकि अनुसूचित जातीय की महिलाएँ राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से भी बाधित होती रही है; अतः आवश्यक है कि अनुसूचित जातीय महिलाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक बाधाओं का अध्ययन किया जाये।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्य उद्देश्य निम्न हैं–

1. अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातीय महिलाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिबंधित व्यवहार एवं भेदभाव की प्रकृति का पता लगाना।
2. अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातीय महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण को जानती हैं? का पता लगाना।
3. अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जातीय महिलाओं के विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के संचालन के बारे में पता लगाना।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णानात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया है, जिसके अन्तर्गत अध्ययन विषय से सम्बन्धित एक सामान्य विवरण ही प्रस्तुत नहीं किया जाता बल्कि इसमें यथार्थ सूचनाओं को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए तथ्यों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र में जाकर विषय से सम्बन्धित परिस्थितियों एवं कारणों को निष्पक्ष रूप से संकलित किया गया है तथा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनादाताओं के विचारों एवं अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की है।

अध्ययन क्षेत्र

शोधार्थी ने उत्तराखण्ड राज्य के जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकासखण्ड को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया है।

अध्ययन की ईकाई

प्रस्तुत अध्ययन की इकाई के रूप में अध्ययन क्षेत्र से 18 वर्ष से 60 आयु वर्ग की 50 अनुसूचित जातीय महिला उत्तरदाताओं को चुना गया है।

उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्ययन अनुसूचित जातीय महिलाओं की राजनीतिक–सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित है। उक्त अध्ययन में उत्तरदाताओं की आयु, पारिवारिक स्वरूप, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारणों का मूल्यांकन किया गया है।

सारणी संख्या– 1

उत्तरदाताओं का आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण

क्रम सं०	आयु (वर्षों में)	आवृति	प्रतिशत	शैक्षणिक योग्यता	आवृति	प्रतिशत
1.	18–30	15	30.00	अशिक्षित	05	10.00
2.	31–40	15	30.00	प्राथमिक/जू० हाई स्कूल	15	30.00
3.	41–50	15	30.00	हाई स्कूल/ इण्टरमीडिएट	20	40.00
4.	51–60	05	10.00	स्नातक/स्नात्तकोत्तर	10	20.00
	योग	50	100.00	योग	50	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में 18–30 आयु वर्ग की उत्तरदाताओं का प्रतिशत 30.00 है, 31–40 आयु वर्ग में 30.00 प्रतिशत तथा 41–50 आयु वर्ग में 30.00 प्रतिशत महिलाएँ हैं; जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु वर्ग 51–60 है। अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में से 10.00 प्रतिशत अशिक्षित हैं; प्राईमरी/ जूनियर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत 30.00 है। हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट

तक की शिक्षा प्राप्त करने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत 40.00 है; जबकि स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट तक शिक्षित हैं।

सारणी संख्या– 2

उत्तरदाताओं का पारिवारिक स्वरूप एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण

क्र०सं०	पारिवारिक स्वरूप	आवृति	प्रतिशत	वैवाहिक स्थिति	आवृति	प्रतिशत
1.	एकाकी परिवार	39	78.00	अविवाहित	12	24.00
2.	संयुक्त परिवार	11	22.00	विवाहित	34	68.00
3.				विधवा	04	08.00
	योग	50	100.00	योग	50	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 78.00 प्रतिशत उत्तरदाता एकाकी परिवार में रहती हैं; जबकि संयुक्त परिवार में निवास करने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत 22.00 है। 24. 00 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित तथा 68.00 प्रतिशत विवाहित; जबकि 08.00 प्रतिशत उत्तरदाता विधवा हैं।

अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं की राजनीतिक–सामाजिक बाधाएँ–

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों में परिवार, समाज, राजनीति, आर्थिक तथा शैक्षिक हो सकते हैं। उक्त सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे सशक्तिकरण शब्द से परिचित हैं?

सारणी संख्या– 3

उत्तरदाताओं का महिला सशक्तिकरण शब्द से परिचय के आधार पर वर्गीकरण

क्र०सं०	महिला सशक्तिकरण शब्द से परिचित हैं	आवृति	प्रतिशत	महिला सशक्तिकरण से अर्थ से परिचित उत्तरदाता	आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	32	64.00	पारिवारिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता	07	21.88
2.	नहीं	18	36.00	आर्थिक रूप से आत्म निर्भर	11	34.38
3.				राजनैतिक रूप से स्वतंत्र	04	12.50
4.				पुरुषों के समान सामाजिक प्रस्थिति	05	15.62
5				उपर्युक्त सभी	05	15.62
	योग	50	100.00	योग	32	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 64.00 प्रतिशत उत्तरदाता महिला सशक्तिकरण शब्द से परिचित हैं; जबकि 36.00 प्रतिशत उत्तरदाता महिला सशक्तिकरण शब्द से परिचित नहीं है। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि कुल 32 (100.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में से 34. 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता, 21.88 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पारिवारिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता, 12.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनैतिक रूप से स्वतंत्र होना तथा 15.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पुरुषों के समान सामाजिक प्रस्थिति को सशक्तिकरण माना है।

जबकि सशक्तिकरण के अन्तर्गत इन सभी अर्थों को मानने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत 15.62 था।

सारणी संख्या– 4

उत्तरदाताओं का विकास योजनाओं के संचालन में बाधक कारक के आधार पर वर्गीकरण

क्र०सं०	बाधक कारक	आवृति	प्रतिशत
1.	जानकारी का न होना	21	42.00
2.	अधिकारियों का सहयोग न मिलना	11	22.00
3.	स्वयं के द्वारा रूचि न दिखाना	07	14.00
4.	योजनाओं की जटिल प्रक्रियाएं	11	22.00
	योग	50	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जानकारी के अभाव को बाधक कारक मानने वाली उत्तरदाताओं का प्रतिशत 42.00 है। 22.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अधिकारियों का

सहयोग न मिलना, 14.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि वे स्वयं इन योजनाओं में रूचि नहीं लेती हैं; जबकि 22.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजनाओं की जटिल प्रक्रियाओं को समस्या बताया है।

सारणी संख्या– 5

उत्तरदाताओं का पारिवारिक सदस्यों द्वारा भेदभाव के आधार पर वर्गीकरण

क्र०सं०	भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है	आवृति	प्रतिशत	भेदभाव की प्रकृति	आवृति	प्रतिशत
1.	हाँ	22	44.00	क्षमता एवं योग्यता को कम आंकना	09	40.91
2.	नहीं	28	56.00	रिश्तेदारी में आने–जाने पर रोक	06	27.27
3.				बाहरी कार्यों पर रोक	07	31.82
	योग	50	100.00	योग	22	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 44.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में भेदभावपूर्ण व्यवहार; जबकि 56.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिवार में अपने प्रति व्यवहार सौहार्दपूर्ण बताया।

स्वयं के प्रति परिवार में भेदभाव बताने वाली कुल 22 (100.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं में से 40.91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने परिवार में उनकी क्षमता एवं योग्यता को कम आंकना बताया। 27.27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रिश्तेदारी में आने–जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में जानकारी दी। 31.82 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बाहरी कार्यों को करने में रोक को भेदभाव के अन्तर्गत बताया।

निष्कर्ष

अनुसूचित जातीय महिलाओं के संरक्षण, संवृद्धि, विकास एवं कल्याण हेतु उनकी शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रस्थिति में सुधार करके भारत की आर्थिक प्रगति को और अधिक गतिशील किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसूचित जातीय महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि की जाए, साथ ही इन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने के कानूनी संरक्षण के साथ–साथ सामाजिक चेतना भी जाग्रत की जाए।

आर्थिक क्षेत्र में रोजगार, प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध कराकर अनुसूचित जातीय महिलाओं को आत्म–निर्भर बनाया जा सकता है। इन सबके बावजूद पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव को खत्म करने वाले कानून को और अधिक प्रभावशाली बनाकर इन महिलाओं को और अधिक संरक्षित किया जा सकता है। हाँलाकि सुधार आन्दोलनों तथा सरकारी प्रयासों के चलते इन महिलाओं की स्थिति में अनेक परिवर्तन एवं सुधार हुए हैं; तथापि इस सम्बन्ध में अभी और अधिक सुधार की आवश्यकता है। आज की अधिकांश अनुसूचित जातीय महिलाएँ सामाजिक प्रतिबंधों एवं निर्योग्यताओं में जकड़ी हुई हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था और सिद्धान्त भले ही निष्पक्ष हो, किन्तु परम्परा निश्चित रूप से महिला वर्ग के विरुद्ध है; अतः अनुसूचित जातीय महिलाओं की राजनीतिक–सामाजिक परिस्थितियों ने भी परिवर्तन अवश्यंभावी है।